

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024|

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2015/वैशाख 25, 1937

No. 1024]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2015/VAISAKHA 25, 1937

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

का.आ. 1305(अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 14 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री धरम पाल, आईएएस (एजीएमयू: 1988), जो वर्तमान में वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, को नियमित पदधारी की नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। श्री धरम पाल, वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मरकार के रूप में अपने मूल प्रभार के अतिरिक्त नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का प्रभार भी संभालेंगे।

फा. सं. 14016/04/2013-यूटीएस. I]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015

S.O. 1305(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 4, read with Sub-section (2) of Section 14 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), Central Government hereby appoints Shri Dharam Pal, IAS (AGMU:1988), who is presently working as Financial Commissioner, GNCTD as Chairperson, New Delhi Municipal Council as an interim arrangement till appointment of regular incumbent. Shri Dharam Pal will hold the charge of Chairperson, NDMC in addition to his substantive charge as Financial Commissioner, GNCTD.

[F. No. 14016/04/2013-UTS.I] RAKESH SINGH, Jt. Secy.

2165 GI/2015